न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-294/2020/टोंक

दुर्गालाल उर्फ पप्पू पुत्र श्री रामकिशन, जाति कुमावत, निवासी ग्राम रामथला तहसील देवली जिला टोंक।

--अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार नासिरदा, जिला टोंक।

– रेस्पोडेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विदवान अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक दिनांक 10.10.2019 जो प्रकरण संख्या 24/2019 बउनवानी दुर्गालाल बनाम नायब तहसीलदार नासिरदा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नासिरदा दिनांक 12.07.2019

उपस्थित अभि0:–श्री गिरीश शर्मा (वकील अपी0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांकः–01.06.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामथला तहसील देवली के खसरा नम्बर 1328 रकबा 0.08 हे0 किश्म गैर मुमकीन रास्ता पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल कर शास्ती कायम कर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक के यहां अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होनें अपने निर्णय दिनांक 10.10.2019 द्वारा अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासीरदा के निर्णय दिनांक 12.07.2019 को यथावत रखा। जिसकी वजह से निम्न आधारो पर वर्तमान अपील प्रस्तुत की जा रही है–

1. दिनांक 17.07.2019 की मौका रिपोर्ट द्वारा पत्र कमांक 480 नायब तहसीलदार नासीरदा अपीलांट ने अपना कब्जा/अतिक्रमण हटा लिया है तो उसके द्वारा दिनांक 04.07.2019 को पुनः अतिक्रमण करने का प्रश्न नहीं उठता है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए नायब तहसीलदार नासी... गलती की है। जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक ने भी दौहराया गया है।

2. नायब तहसीलदार नासीरदा द्वारा अपने निर्णय से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस नहीं दिया, ना ही साक्ष्य बाबत अवसर दिया। अतः नायब तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested

नासीरदा का निर्णय दिनांक 12.07.2019 प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध था। अपील स्वीकार की जायें और अपीलाधीन दोनो आदेश निरस्त किये जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है साथ में इनका शपथ पत्र , इसके अलावा नायब तहसीलदार नासीरदा के निर्णय दिनांक 12.07.2019 की प्रमाणित प्रति अभी उपलब्ध न होने से फोटोप्रति को पत्रावली पर दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र दिये है।

अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की गई , रेस्पो0 को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

सर्वप्रथम अपील के मियाद में होने बाबत स्थिति को देखा गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2019 का है। न्यायालय हाजा में दिनांक 24.02.2020 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। न्यायालय द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपलांट के अनुसार निर्णय दिनांक 10.10.2019 का है मगर उस दिन लिखाया न जाकर सूचित किया गया था कि निर्णय लिखवाने पर बाद में बता दिया जायेगा। अपीलांट अभि0 द्वारा मुझे निर्णय की सूचना नहीं दी गई, निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 13.12.2019 को नकल के लिए आवेदन किया, नकल प्राप्त की। अतः जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद माना गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, न्यायालय यह उचित मानता है कि निर्णय की जानकारी अपीलांट को न होने से जानकारी प्राप्त होते ही उनके द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जायें। साथ ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाकर उन्हें फोटोप्रति प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाती है।

नायब तहसीलदार नासीरदा के प्रकरण संख्या 1043/2019 अन्तर्गत 91 एल0आर0एक्ट में दिनांक 12.07.2019 की प्रोसिडिंग का अवलोकन किया गया। जिसमें पटवारी रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए यह अंकित किया गया है कि अतिचारी द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1328 रकबा 1.17 हे0 गैर मुमकीन रास्ता में से 0.08 हे0 पर जोत व तार एवं डोल लगाकर रास्ता बंद कर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी का दिनांक 03.07.2019 को मौके पर से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमी द्वारा दिनांक 04.07.2019 को पुनः अतिक्रमण कर लिया। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.07.2019 को हटाऐ गए अतिक्रमण बाबत नकल घटना बही पेश की गई जो कि पत्रावली में एग्जीबीट संख्या 2 शामिल है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1328 में गैर मुमकीन रास्ता से ग्राम वासियो के समक्ष मौके पर जे0सी0बी से रास्ता अतिक्रमण हटवाया जाकर चालू करवाया गया। तदनुसार अतिचारी दुर्गालाल उर्फ पप्पू पुत्र रामकिशन कुमावत निवासी रामथला [illegible]जी खसरा नम्बर 1328 में गैर मुमकिन रास्ता पर 0.08 हे0 भूमि पर अति[illegible] हटाने के उपरांत भी पुनः अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होता है। पत्रावली के साथ संलग्न रिपोर्ट पटवारी के अनुसार संवत 2074 खसरा नम्बर 1328 में 0.08 हे0 पर ग्राम रामथला के अपीलांट दुर्गालाल का गैर मुमकीन रास्ते पर अतिक्रमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested

है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 02.07.2019 की है। उक्त पटवारी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर आईएलआर है तथा पटवारी द्वारा अपने हस्ताक्षर की जगह दिनांक में काटा–फासी की गई है जो संदिग्ध है। नायब तहसीलदार द्वारा उक्त पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संख्या 1043/2019 में दिनांक 03.07.2019 को नोटिस जारी किया गया।

दिनांक 12.07.2019 को अपीलाधीन आदेश दिया है **''अतः विपक्षी को ग्राम रामथला की गैर मुमकिन रास्ता आराजी खसरा संख्या 1328 रकबा 0.08 हे0 से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये है। अतिक्रमी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता है। अतः इस दिवस के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया जाता है''**

ए0डी0एम न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2019 को अपीलांट की अपील खारिज करते हुए नायब तहसीलदार नासिरदा का निर्णय दिनांक 12.07.2019 यथावत रखा। अपने निर्णय में मुख्य रूप से नायब तहसीलदार के पत्र क्रमांक 480 दिनांक 17.07.2019 से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार पर बल देते हुए ए0डी0एम न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अपीलांट का कब्जा एक बार दिनांक 03.07.2019 को मौके पर से हटा दिया गया था मगर उसके द्वारा पुनः दिनांक 04.07.2019 को अतिक्रमण कर लिया जिसकी वजह से उसे अतिक्रमण करने का आदि पाया गया।

मौका पर्चा पटवारी हल्का मालेड़ा दिनांक 03.07.2019 के अनुसार विवादित भूमि से रामबिलास पुत्र रामकिशन कुमावत का अतिक्रमण हटाया गया था। नायब तहसीलदार न्यायालय बयान गवाह में हल्का पटवारी मालेड़ा द्वारा दिनांक 12.07.2019 को दिये गये बयान में दिनांक 03.07.2019 को अतिक्रमी दुर्गालाल को मौके से बेदखल किया। बेदखल करने पर भी उसके द्वारा पुनः तार व डोल लगाकर रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण से ग्राम में असंतोष व्याप्त है।

नायब तहसीलदार न्यायालय की प्रोसिडिंग 1043/2019 दिनांक 12.07.2019 में यह दर्ज किया हुआ है कि दिनांक 04.07.2019 को अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया।

स्पष्ट है कि दुबारा अतिक्रमण कब किया इस बात में विरोधाभासी स्थिति है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.07.2019 को अतिक्रमण किया है जबकि नायब तहसीलदार की न्यायालय की प्रोसिडिंग के अनुसार दुबारा अतिक्रमण दिनांक 04.07.2019 को किया गया है। रिपोर्ट पटवारी में दिनांक में काटा–फासी की हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 17.07.2019 [illegible] की रिपोर्ट के अनुसार रास्ते से अतिक्रमण हटा लिया गया है और मौके पर [illegible] कर लिया है। स्पष्ट है कि मौके पर कोई अतिक्रमण अब नहीं है। अतिक्रमण [illegible] जा चुका है। ऐसी अवस्था में सिविल कारावास की सजा का कोई औचित्य नहीं है। अपील अपीलांट आंशिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested

रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। सिविल कारावास की सजा को स्थगित किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक दिनांक 10.10.2019 प्रकरण संख्या 24/2019 उनवानी दुर्गालाल बनाम नायब तहसीलदार नासिरदा आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा को स्थगित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested